भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1472

(जिसका उत्तर 01 जुलाई, 2019/10 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है)

दावारहित बैंक जमा

1472. श्री विद्युत वरण महतोः
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री गजानन कीर्तिकरः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में विभिन्न बैंकों और बीमा कंपनियों में अपार दावारहित जमा राशि हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बैंक और बीमा कंपनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास बैंकों और बीमा कंपनियों में ऐसी जमाओं से निपटने के लिए कोई मानक हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का देश में सामाजिक रूप से वंचित समूहों के कल्याण कार्यकलापों हेतु ऐसी जमाओं का उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) और (ख): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि वर्ष 2016, 2017 और 2018 के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26 के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सूचित अदावाकृत जमाराशियां निम्नानुसार हैं:

वर्ष	**अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल अदावाकृत जमाराशियां (राशि बिलियन रुपए में)**
2016	89.28
2017	114.94
2018	145.78

बैंक-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) ने सूचित किया है कि जीवन और गैर-जीवन बीमा कंपनियों द्वारा सूचित अदावाकृत जमाराशियों का विवरण निम्नानुसार हैः

की स्थिति के अनुसार	अदावाकृत जमाराशियां	
	जीवन बीमाकर्ता (करोड़ रुपए में)	**गैर-जीवन बीमाकर्ता** (करोड़ रुपए में)
31.03.2016	10527.17	1249.15
31.03.2017	10471.50	889.62
31.03.2018	15229.53	847.54
30.09.2018	16887.66	989.62

बीमा कंपनी-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) और (घ): जहां तक बैंकों में अदावाकृत जमाराशियों का संबंध है, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन और उक्त अधिनियम में धारा 26क को अंतःस्थापित करने के बाद, आरबीआई ने 'जमाकर्ता शिक्षा तथा जागरुकता निधि (डीईएएफ)' योजना 2014 तैयार की है। योजना को भारत के राजपत्र में दिनांक 24.05.2014 को अधिसूचित किया गया था। योजना के अनुसार, बैंक उन सभी खातों जिनका परिचालन 10 वर्ष की अवधि या उससे अधिक समय (या 10 वर्ष अथवा उससे अधिक समय के लिए अदावाकृत बची हुई शेष राशि) से नहीं किया गया है, में उपचित ब्याज के साथ-साथ संचयी शेष राशि का परिकलन करते हैं और ऐसी राशि डीईएएफ को हस्तांतरित करते हैं। ऐसे ग्राहक से मांग के मामले में, जिसकी अदावाकृत राशि को डीईएएफ में स्थानांतरित कर दिया गया था, बैंकों को ग्राहक को ब्याज, यदि कोई हो, के साथ पुनर्भुगतान करने और डीईएएफ से वापसी (रिफंड) के लिए दावा दर्ज कराने की आवश्यकता है। निधि को हस्तांतरित ब्याज अर्जित करने वाली जमाराशियों पर देय ब्याज की दर आरंभ में प्रतिवर्ष 4% थी जिसे दिनांक 01.07.2018 से बदलकर प्रतिवर्ष 3.5 प्रतिशत किया गया है। डीईएएफ का उपयोग जमाकर्ताओं के हितों को बढ़ावा देने और ऐसे अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है जो आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार जमाकर्ताओं के हितों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हों।

जहां तक बीमा कंपनियों में अदावाकृत राशियों का संबंध है, वित्त अधिनियम, 2015 में लाए गए प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि (एससीडब्ल्यूएफ) नियमावली, 2015 जिसे बाद में वर्ष 2016 और 2017 में संशोधित किया गया था और बीमाकर्ताओं के लिए लागू किया गया था। नियमावली के अनुसार, 10 वर्ष से अधिक समय से अदावाकृत राशि रखने वाली संस्थाओं को प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को या उससे पूर्व राशि को एससीडब्ल्यूएफ को हस्तांतरित करना आवश्यक है। एससीडब्ल्यूएफ का उपयोग वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देने संबंधी योजनाओं के लिए किया जाता है। यदि कोई दावा किया जाता है तो बीमाकर्ताओं को प्रक्रिया के अनुसार, पॉलिसीधारकों या लाभार्थियों को जमा की गयी निवेश आय के साथ पहचान की गयी अदावाकृत राशि का भुगतान करना आवश्यक है।

*****

अनुबंध

1. आरबीआई को सूचति अदावाकृत राशियों का बैंक समूह-वार ववरिणः

(रुपए में)

बैंक	2016	2017	2018
भारतीय स्टेट बैंक	16975149999	12621162984	21563310036
राष्ट्रीयकृत बैंक	58286708734	82907780921	99193782095
निजी बैंक	11238024860	14163762310	18515610576
विदेशी बैंक	2145932405	3329132638	3769669128
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	636511638	1920567773	2716709989
लघु वित्त बैंक			24289452
समग्र कुल	**89.28 बलियिन**	**114.94 बलियिन**	**145.78 बलियिन**

2. अदावकृत राशियों का बीमा कंपनी-वार ववरिणः

(a) गैर-जीवन बीमा कंपनियां:

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	बीमाकर्ता का नाम	की स्थिति के अनुसार			
		30.09.2018	**31.03.2018**	**31.03.2017**	**31.03.2016**
1	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00
2	[illegible]	7.42	10.72	9.95	72.74
3	[illegible]	37.55	23.23	24.47	18.80
4	[illegible]	8.02	7.97	15.68	12.09
5	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00
6	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00
7	[illegible]	28.94	5.29	5.12	4.80
8	[illegible]	0.04	0.00	0.00	0.00
9	[illegible]	19.26	18.93	21.82	13.31
10	[illegible]	155.38	126.09	133.02	123.14
11	[illegible]	26.78	25.25	40.56	31.03
12	[illegible]	0.05	0.03	0.02	0.00
13	[illegible]	3.30	0.43	0.36	0.09
14	[illegible]	0.00	0.00	0.00	1.62
15	[illegible]	1.35	1.22	1.21	0.78
16	[illegible]	0.31	0.14	0.03	0.22
17	[illegible]	75.29	74.46	72.08	50.46
18	[illegible]	4.60	11.18	12.29	12.58
19	[illegible]	4.44	3.87	2.58	2.25
20	[illegible]	22.36	20.59	19.44	12.24
21	[illegible]	20.40	24.19	26.89	19.57
22	[illegible]	3.41	3.43	2.56	5.77
23	[illegible]	0.20	0.00	0.00	0.00
24	[illegible]	4.29	2.65	2.41	2.45
25	[illegible]	0.81	0.42	0.77	2.37
26	[illegible]	1.54	1.36	1.65	2.69
27	[illegible]	2.63	1.44	0.71	0.51
28	[illegible]	2.67	0.35	1.29	0.81
[illegible]	[illegible]	**431.04**	**363.24**	**394.91**	**390.32**

29	[illegible]	102.85	84.01	85.13	74.70
30	[illegible]	180.66	116.95	138.75	140.81
31	[illegible]	78.85	73.07	68.07	58.86
32	[illegible]	172.76	167.11	162.20	143.68
	[illegible]	**535.12**	**441.14**	**454.15**	**418.05**
33	[illegible]	22.20	41.57	38.87	438.99
34	[illegible]	1.26	1.59	1.69	1.79
	वशिषीकृत कुल	**23.46**	**43.16**	**40.56**	**440.78**
	समग्रकुल	**989.62**	**847.54**	**889.62**	**1249.15**

(ख) जीवन बीमा कंपनियां:

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	बीमाकर्ताका नाम	की स्थिति के अनुसार			
		30.09.2018	**31.03.2018**	**31.03.2017**	**31.03.2016**
1	आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	283.54	257.72	236.25	230.99
2	एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	48.38	40.36	45.55	57.41
3	अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	193.04	190.65	249.52	216.62
4	बजाज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	616.86	611.69	555.76	466.02
5	भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	79.23	74.81	55.76	60.77
6	केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इं. कं. लि.	14.71	15.72	15.42	34.84
7	डीएचएफल प्रमेरिकालाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	16.41	17.89	21.88	10.95
8	एडलवाइस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.74	1.37	1.08	2.08
9	एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	58.99	61.88	65.62	63.50
10	फ्यूचर जेनरेली लाइफ इंश्योरेंस कं. लिमिटेड	70.65	70.50	49.05	39.55
11	एचडीएफसी स्टैंडर्डलाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	358.89	659.30	767.20	711.23
12	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियललाइफ इं. कं. लि.	727.86	807.40	659.04	495.65
13	आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	6.49	9.85	2.13	8.71
14	इंडिया फर्स्टलाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	40.62	26.28	59.80	81.54
15	कोटक महिंद्रालाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	39.51	32.26	32.37	30.87
16	मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कं. लिमिटेड	48.83	38.17	49.88	213.38
17	पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस कं.लि.	240.42	203.46	210.34	221.16
18	रिलायंस निप्पोन लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	358.89	696.12	492.13	562.93
19	सहारा इंडियालाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	29.39	10.47	2.15	2.05
20	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	523.24	678.59	568.30	653.38
21	श्रीरामलाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	63.93	61.92	53.81	64.07
22	स्टार यूनियन दी इची लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	22.76	20.07	64.43	126.64
23	टाटा एआईएफ लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	150.26	134.05	306.12	238.41
	उप - योग	**3995.64**	**4720.51**	**4563.59**	**4592.75**
24	भारतीय जीवन बीमा निगम	12892.02	10509.02	5907.91	5934.42
	कुल	**16887.66**	**15229.53**	**10471.50**	**10527.17**

***